सेवा में

समस्त शाखा प्रमुख
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग,
के- ब्लाक, विकास भवन, नई दिल्ली

विषय :- हिंदी में प्राप्त हस्ताक्षर किये गए पत्रों का उत्तर राजभाषा हिंदी में सुनिश्चित कराने का अनुरोध |

महोदय,

दिल्ली सरकार की दिनांक 14.01.2014 की अधिसूचना संख्या 7(9)/97 भाषा के अनुसार हिंदी को दिल्ली की राजभाषा घोषित किया गया है ,, प्राय: यह देखा गया है कि हिंदी में लिखे गये अथवा हस्तांतरित पत्रों का उत्तर हिंदी भाषा में नहीं दिया जाता है | इस सम्बन्ध में राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 5 एवं नियम 7(1) (2) एवं (3) में स्पष्ट उल्लेख है जिसके उद्धरण अनुपालन हेतु निम्न है :-

नियम 5 के अनुसार, हिदी पत्रादि के उत्तर नियम 3 और 4 के किसी बात के होते हुए भी हिंदी में पत्रादि के उत्तर हिंदी में दिये जायेगे |

उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन अपील या अभ्यावेदन हिंदी में किया गया है या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किये गए हो तब उसका उत्तर भी हिंदी भाषा में दिया जायेगा |

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि राजभाषा नियमावली 1976 के नियमो के सभी उपबंधो का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु, अपने अधीन सभी अधिकारियो / कर्मचारियों को यथोचित निर्देश देने का कष्ट करे |

भवदीय

दिलीप कु० मिश्र

खाद्य एवं संभरण अधिकारी (प्रशासन)

संख्या : 467-468 दिनांक : 04-02-2014

प्रति :-

श्री महेंद्र सिंह जी , r/o 188 जहाँगीर पुरी, दिल्ली - 33 (उनके पत्र दिनांक 03.12.2013 के सन्दर्भ में |

1657/SA(S.T) 04/02/14.

Upload 4.2.14

Sapna